उत्तम

बनाम

सौभाग सिंह एवं अन्य।

(सिविल अपील संख्या 2360/2016)

मार्च 02, 2016

[कुरियन जोसेफ और आर. एफ. नरीमन,जे.जे.]

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956:

धारा 6 (यथा संशोधित) – की प्रयोज्यता – विभाजन के मुकदमें में डिक्री 2000 में पारित हुई – सन् 2005 में किए गए धारा 6 में किये गये संशोधन के अनुसार संशोधित धारा 6 के परन्तुक (i) के प्रावधान पक्षकारान के अधिकारों को नियंत्रित नहीं करेंगे।

धारा 8-वादी-अपीलार्थी द्वारा अपने पिता और चाचाओं के विरुद्ध इस आधार पर विभाजन का मुकदमा किया गया कि वाद की संपत्ति पैतृक संपत्ति थी और सहदायिक होने के नाते, मिताक्षरा विधि के अनुसार उक्त संपत्ति में उसका जन्म से अधिकार था - प्रतिवादियों की प्रतिरक्षा है कि वाद संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं थी और पूर्व में विभाजन हुआ था जिसके द्वारा वादी के पिता अलग हो गए थे – अभिनिर्धारित: सन् 1973 में वादी के दादा की मृत्यु पर, धारा 6 का परन्तुक उतना ही लागू होगा जितना कि वादी के दादा ने अपनी विधवा को पीछे छोड़ दिया था, जो प्रथम श्रेणी की

महिला उत्तराधिकारी थी - समान रूप से, उक्त धारा में स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, विधि के अनुसरण में यह माना जाना चाहिये कि उसकी मृत्यु से अव्यवहित पूर्व सम्पत्ति का विभाजन किया गया होता - यह मामला है, सन् 1973 में हुए विभाजन में वादी एक हिस्से का हकदार होगा - हालाँकि, वादी का जन्म दादा की मृत्यु के बाद ही हुआ था और इसलिए उसे ऐसा कोई हिस्सा आवंटित नहीं किया जा सकता था - सन् 1973 में दादा की मृत्यु पर संयुक्त परिवार की संपत्ति, जो दादा और अन्य सहदायिकों के हाथों में पैतृक संपत्ति थी, अधिनियम की धारा 8 के तहत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित हो गई और पैतृक संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह गई और अन्य सहदायिकों और उसकी विधवा ने संपत्ति को सामान्यिक अभिधारियों की हैसियत में न कि संयुक्त अभिधारियों की हैसियत में लेंगे। यह मामला है, सन् 1977 में वादी के जन्म पर उक्त पैतृक संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं होने से विभाजन का वाद पोषणीय नहीं होगा।

2005 के संशोधन से पूर्व संयुक्त परिवार की संपत्ति पर मिताक्षरा शाखा की विधि लागू होगी - चर्चा की गई।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया:

1. पक्षकार के मध्य यह समान आधार है कि चूंकि वर्तमान मुकदमा केवल सन् 1998 में दायर किया गया था और उक्त मुकदमे में डिक्री दिनांक 20.12.2000 को पारित की गई थी, और सन् 2005 में धारा 6 में संशोधन किया गया इसलिये वर्तमान मामले में पक्षकारान के अधिकार

संशोधन से शासित नहीं होंगे। संशोधित प्रावधान की धारा 6 के परन्तुक (i) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है। विभाजन जो दिनांक 20.12.2000 की न्यायालय की डिक्री द्वारा सम्पन्न हुआ है, जो 9 सितंबर, 2005 (जो कि संशोधित अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख है) से पूर्व का है प्रभावित नहीं होगा। [पैरा 8] [107-बी-सी, ई-एफ]

2. सन् 2005 के संशोधन से पूर्व संयुक्त परिवार की संपत्ति पर लागू कानून है (i) जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रारंभ होने के बाद एक पुरुष हिंदू की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में हित होता है, तो संपत्ति में उसका हित उत्तरजीविता द्वारा सहदायिक के जीवित सदस्यों को हस्तांतरित किया जाएगा (धारा 6 के अनुसार)। (ii) प्रस्ताव (i) में, अधिनियम की धारा 30 के स्पष्टीकरण में एक अपवाद निहित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी, मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में एक पुरुष हिंदू का हित वह संपत्ति है जिसका निपटान उसके द्वारा वसीयत या अन्य वसीयती व्ययन द्वारा स्वभाव से किया जा सकता है। (iii) प्रस्ताव (i) पर दिया गया दूसरा अपवाद धारा 6 के परंतुक में निहित है, जिसमें कहा गया है कि यदि ऐसा कोई पुरुष हिंदू अनुसूची के श्रेणी 1 में निर्दिष्ट किसी महिला रिश्तेदार या उसमें निर्दिष्ट किसी पुरुष रिश्तेदार जो ऐसी जीवित महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा करता है, को छोडकर मर गया था तो सहदायिक संपत्ति में मृतक का हित वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार

द्वारा हस्तांतरित होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा। (iv) धारा 6 के परंतुक द्वारा शासित हिंदू पुरुष सहदायिक का हिस्सा निर्धारित करने के लिए, उसकी अपनी मृत्यु से अव्यवहित पूर्व विधि अनुसार विभाजन प्रभावी होता। इस बंटवारे में सभी सहदायिकों और पुरुष हिंदू की विधवा को संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिलता है। (v) अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, या तो स्व-अर्जित संपत्ति छोड़ने वाले पुरुष हिंदू की मृत्यु के कारण या धारा 6 के परन्तुक के अनुसार, ऐसी संपत्ति केवल निर्वसीयता द्वारा हस्तांतरित होगी न कि उत्तरजीविता द्वारा। (vi) अधिनियम की धारा 4, 8 और 19 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, संयुक्त परिवार की संपत्ति को निर्वसीयत के सिद्धांतों पर धारा 8 के अनुसार वितरित किए जाने के बाद, जिन विभिन्न व्यक्तियो को सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है उनके हाथ मे यह संयुक्त परिवार की संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह जाती है क्योंकि वे संपत्ति को सामान्यिक अभिधारियों के रूप में लेंगे न कि संयुक्त अभिधारियों के रूप में। [पैरा 20] [114-एफ-एच; 115-ए-ई]

3. इस मामले के तथ्यों पर विधि को लागू करने पर, यह स्पष्ट है कि सन् 1973 में दादा की मृत्यु पर, संयुक्त परिवार की संपत्ति, जो दादा और अन्य सहदायिकों के हाथों में पैतृक संपत्ति थी, अधिनियम की धारा 8 के तहत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित की गई। ऐसा होने पर, पैतृक संपत्ति दादा की मृत्यु की तारीख पर संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह गई, और अन्य सहदायिकों और उनकी विधवा ने संपत्ति को सामान्यिक अभिधारियों

के रूप में लेंगे, न कि संयुक्त अभिधारियों के रूप में। ऐसी स्थिति में, सन् 1977 में अपीलकर्ता की जन्म तिथि पर उक्त पैतृक संपत्ति, संयुक्त पारिवारिक संपत्ति न होने के कारण, ऐसी संपत्ति के विभाजन का मुकदमा चलने योग्य नहीं होगा। [पैरा 21] [115-ई-जी]

महाराष्ट्र राज्य बनाम नारायण राव शाम राव देशमुख व अन्य। (1985) 3 एससीआर 358; श्यामा देवी (श्रीमती) व अन्य बनाम मंजू शुक्ला (श्रीमती) व अन्य। (1994) 6 एससीसी 342: 1994 (3) पूरक। एससीआर 362; संपत्ति कर आयुक्त. कानपुर व अन्य बनाम चंदर सेन व अन्य (1986) 3 एससीसी 567; युधिष्ठर बनाम अशोक कुमार (1987) 1 एससीसी 204: 1987 (1) एससीआर 516; भंवर सिंह बनाम पूरन (2008) 3 एससीसी 87: 2008 (2) एससीआर 775 पर अवलम्ब लिया गया।

भंवरसिंह बनाम पूरन (2008) 3 एससीसी 87:2008 (2) एससीआर 775; के. मगदूम बनाम एच.के. मगदूम (1978) 3 एससीआर. 761; धर्मा श्यामराव अगलावे बनाम पाण्डूरंग मिरागू अगलावे (1988) 2 एससीसी 126: 1988 (2) एससीआर 1077; शीलादेवी बनाम लालचंद (2006) 8 एससीसी 581: 2006 (6) पूरक एससीआर 874; रोहित

चौहान बनाम सुरेन्द्रसिंह (2013) 9 एससीसी 419: 2013

(7) एससीआर 897 – के प्रति निर्देशित.

निर्णय विधि संदर्भ

2008 (2) एससीआर 775	– अवलंब लिया	पैरा–7
(1978) 3 एस.सी.आर. 761	– अभिनिर्देशित किया	पैरा– 11
(1985) 3 एस.सी.आर. 358	– अवलंब लिया	पैरा–13
1994 (3) सप्ल. एससीआर 362	– अवलंब लिया	पैरा–14
(1986) 3 एससीसी 567	– अवलंब लिया	पैरा–16
1987 (1) एससीआर 516	– अभिनिर्देशित किया	पैरा– 18
2008 (2) एससीआर 775	– अभिनिर्देशित किया	पैरा– 19
1988 (2) एससीआर 1077	– अभिनिर्देशित किया	पैरा– 20
2006 (6) पूरक एससीआर 874	– अभिनिर्देशित किया	पैरा–20
2013 (7) एससीआर 897	– अभिनिर्देशित किया	पैरा– 20

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2360/ 2016

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर की द्वितीय अपील संख्या 206/2005 में पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.10.2013 से

सुशील कुमार जैन, वरिष्ठ वकील, अभिनव गुप्ता, मनु माहेश्वरी, (सुश्री प्रतिभा जैन के लिए), अपीलकर्ताओं के लिए

नीरज शर्मा, कुल मिलाकर कुमार शर्मा, सलाहकार प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय, न्यायाधीश आर. एफ. नरीमन,जे. द्वारा दिया गया :-

1. अनुमति दी गई।

2. वर्तमान अपील वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसने विभाजन के लिए वाद दायर किया था, जो वाद सं. 5A/1999 है, जो कि द्वितीय सिविल जज, क्लास II देवास, मध्य प्रदेश, दिनांक 28.12.1998 के समक्ष था, जिसमें पहले चार प्रतिवादी उसके पिता (प्रतिवादी सं. 3), और उनके पिता के तीन भाई यानी प्रतिवादी नंबर 1,2 और 4 थे। उसके वादग्रस्त संपत्ति में 1/8 वें हिस्से का दावा इस आधार पर किया कि वादग्रस्त संपत्ति पैतृक संपत्ति थी, और वह, एक सहदायिक होने के नाते मिताक्षरा विधि के अनुसार उक्त संपत्ति में उसका जन्म से ही अधिकार था।वादी के पिता सहित सभी चार भाइयों द्वारा एक संयुक्त जवाबदावा दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि वादग्रस्त संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं थी, और पूर्व में एक विभाजन हुआ था जिसके कारण वादी के पिता अलग हो गए थे।विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20.12.2000 द्वारा वादी के वाद को डिक्री करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि डीडब्ल्यू.1 मांगीलाल ने स्वीकार किया था कि संपत्ति वास्तव में पैतृक संपत्ति थी, और साक्ष्य के

आधार पर, उक्त संपत्ति का कोई पूर्व विभाजन नहीं हुआ था जैसा कि प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में अभिकथित किया है।

3. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.1.2005 से इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि संपत्ति पैतृक थी और भाइयों के बीच वास्तव में कोई पूर्व विभाजन नहीं हुआ था।हालाँकि, यह माना गया कि वादी के दादा, जगन्नाथ सिंह की सन् 1973 में मृत्यु हो गई थी, उनकी विधवा मैनाबाई उनकी मृत्यु के समय जीवित थीं, उक्त जगन्नाथ सिंह का हिस्सा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कीधारा 8 के अनुसार वितरित किया जाना चाहिए था मानो जैसे उक्त जगन्नाथ सिंह की मृत्यु बिना वसीयत के हो गई हो, और ऐसा होने पर, एक बारधारा 8 लागू होने के बाद, संयुक्त परिवार की संपत्ति को निर्वसीयत के नियमों के अनुसार विभाजित किया जाना चाहिए, न कि उत्तरजीवित के नियमों के अनुसार।ऐसा होने पर, जब वादी द्वारा विभाजन का मुकदमा दायर किया गया था, तब कोई भी संयुक्त परिवार की संपत्ति विभाजित नहीं हुई थी, और चूंकि वादी के पास अपने पिता के जीवित रहने के दौरान कोई अधिकार नहीं था, पिता अकेले ही श्रेणी 1 के उत्तराधिकारी थे (और परिणामस्वरूप वादी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण), वादी को विभाजन के लिए वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं था, और इसलिए वाद खारिज कर दिया गया और परिणामस्वरूप प्रथम अपील की अनुमति दी गई।

4. इसी तर्क और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसरण के पश्चात् उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील में उक्त अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया: -

> "15.इस प्रकार अधिनियम की धारा 4,6,8 और अनुसूची में निहित प्रावधानोंके साथ-साथ उपरोक्त निर्णयों द्वारा निर्धारित विधि को दृष्टिगत रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अधिनियम के लागू होने के बाद दादा की संपत्ति में पौत्र का जन्म से कोई अधिकार नहीं है और वह अपने पिता के जीवनकाल के दौरान विभाजन का दावा नहीं कर सकता है।
>
> 16. वर्तमान मामले में, यह निर्विवादित है कि जगन्नाथ की मृत्यु वर्ष 1973 में हो गई थी, अपने पीछे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को छोड़कर गये अर्थात उनके चार पुत्र अनुसूची के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों की श्रेणी में आते है इसलिए, जब जगन्नाथ की मृत्यु पर उत्तराधिकार खोला गया तो संपत्तियां उन्हें हस्तांतरित हो गई थीं।यह भी सिद्ध पाया गया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के मध्य कोई विभाजन नहीं हुआ था। अपीलार्थी, जो जगन्नाथ का पौत्र है, अपने पिता मोहन सिंह के जीवनकाल के दौरान जगन्नाथ द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों में विभाजन का दावा करने का

हकदार नहीं है चूंकि अपीलार्थी का वादग्रस्त संपत्तियों पर कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है।

17. उपरोक्तानुसार, अपीलार्थी के विरूद्ध विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब यह मानकर दिया जाता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अधिनियम कीधारा 8 का हवाला देते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर विभाजन के वाद को खारिज करने और यह निर्धारित करने मे किमोहन सिंह के जीवनकाल में, अपीलार्थी को वादग्रस्त संपत्ति का बंटवारा कराने का कोई अधिकार नहीं है, कोई त्रुटि नही की है।"

5. इसी निर्णय को हमारे सामने अपील में चुनौती दी गई है।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील कुमार जैन ने हमेंहिंदू उत्तराधिकार अधिनियमके विभिन्न प्रावधानों और इस न्यायालय के कई निर्णयों के अवगत कराया, और तर्क दिया किधारा 6, 2005 के संशोधन से पूर्व, इस मामले के तथ्यों को नियंत्रित करेगा।उन्होंने स्वीकार किया कि चूंकि सन्1973 में जगन्नाथ सिंह की मृत्यु के समय उसकी विधवा जीवित थी, इसलिए मामला धारा 6 के परन्तुक द्वारा शासित होगा,और इसलिए मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में मृतक का हितउक्त अधिनियम की धारा8 के तहत निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होगा। हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी सहदायिक संपत्ति में केवल मृतक का हित निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होगा, अन्यथा

संयुक्त परिवार की संपत्ति बरकरार रहेगी।ऐसा होने पर, वादी को अपने पिता के जीवित रहते हुए विभाजन के लिए मुकदमा करने का पूरा अधिकार था, यहां तक कि, एक सहदायिक होने के नाते और संयुक्त परिवार की संपत्ति में विभाजन का अधिकार था, जो कि जगन्नाथ सिंह की मृत्यु के बाद भी जारी रहा, वादी का वाद दायर करने का अधिकार समाप्त नही होता है। उन्होंने तर्क दिया किअधिनियम की धारा 8 इस तरह के मुकदमे पर रोक नहीं लगती है क्योंकि यह केवल सन् 1973 में वादी के दादा यानी जगन्नाथ सिंह की मृत्यु के समय लागू होगी और उसके बाद वादी पर मुकदमा नहीं चलाएगी, जोकिसंयुक्त परिवार की संपत्ति का जीवित सहदायिक, संयुक्त परिवार में किसी अन्य की मृत्यु होने से पहले विभाजन का हकदार था।उन्होंने यह भी तर्क दिया किहिंदू उत्तराधिकार अधिनियमकेवल संकेतित सीमा तक हिंदू विधि को निरस्त करता है, औरधारा 6 और 8 को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूपधारा 6 के तहत मान्यता प्राप्त संयुक्त परिवार की संपत्ति की स्थिति को सन्1973 में वादी के दादा की मृत्यु परधारा 8 को लागू कर समाप्त नही किया जा सकता।

7. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज शर्मा ने इन तर्कों का खण्डन किया,और अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमके विभिन्न प्रावधानोंऔर इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को भी अभिनिर्देशित कर अपने तर्कों का समर्थित किया कि धारा

6 के परंतुक को लागू करने पर एक बार धारा 8 लागू हो जाती है, तो संयुक्त परिवार की संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह जाती है, और केवलधारा 30 याधारा 8 के अनुसार ही प्राप्त की जा सकती है,धारा 30 उस स्थिति में लागू होती है जब वसीयत की गई हो औरधारा 8 लागू होती है यदि संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है। इसलिए, उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया और विशेष रूप से दो निर्णयों जिनमें से मुख्यतःधन कर आयुक्त, कानपुर व अन्य बनाम चंदर सेन व अन्य, (1986) 3 एससीसी 567, औरभंवर सिंह बनाम पूरन, (2008) 3 एससीसी 87 है, का अपने तर्कों के समर्थन में अवलंब लिया कि एक बारधारा 8 किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर लागू हो जाती है, उसके बाद संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह जाती है, और यह मामला होने पर, संपत्ति को विभाजित करने का कोई अधिकार नहीं है जो संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नही रही है सहदायिक के किसी भी सदस्य के पास बनी रहती है।

8. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात् हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधानों को उल्लेखित करना आवश्यक है।अधिनियम, जैसा कि इसके लंबे शीर्षक में अंकित किया गया है, यह निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून में संशोधन और संहिताबद्ध करने के लिए एक अधिनियम है। धारा 4 इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व लागू हिंदू विधि को समाप्त कर देती है क्योंकि यह

किसी भी मामले को संदर्भित करता है जिसके लिए अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया है।धारा 4 इस प्रकार है:

"4.अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव- इस अधिनियम में अभिव्यक्ततः उपबन्धित के सिवाय (क) हिन्दू विधि का कोई ऐसा शास्त्र वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि की भागरूप कोई भी रूढि या प्रथा, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत रही हो, ऐसे किसी भी भी विषय के बारे में, जिसके लिये इस अधिनियम में उपबन्ध किया गया है, प्रभावहीन हो जाएगी;

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत किसी भी अन्य विधि का हिंदुओं को लागू होना वहां तक बंद हो जाएगा, जहां तक वह इस अधिनियम में अन्तर्विषट उपबन्धों में से किसी से भी असंगत हो।

2005 में इसके संशोधन से पहले धारा 6 इस प्रकार है:

"6.सहदायिक संपत्ति में हित का न्यागमन.-जब इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद एक पुरुष हिंदू की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में उसका हित निहित है, तो संपत्ति में उसका हित जीवित बचे सदस्यों को हस्तांतरित हो जाएगा। सहदायिक और इस अधिनियम के अनुसार नहीं:

बशर्ते कि, यदि मृतक ने अनुसूची के वर्ग । में निर्दिष्ट किसी महिला रिश्तेदार या उस वर्ग में निर्दिष्ट किसी पुरुष रिश्तेदार को जीवित छोड़ दिया है, जो ऐसी महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा करता है, तो मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में मृतक का हित वसीयतनामा द्वारा हस्तांतरित होगा या निर्वसीयत उत्तराधिकार, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के तहत होता है न कि उत्तरजीविता द्वारा।

स्पष्टीकरण 1.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक हिंदू मिताक्षरा सहदायिक के हित को उस संपत्ति में हिस्सा माना जाएगा जो उसे आवंटित किया गया होता यदि संपत्ति का विभाजन उसकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ होता, चाहे जो भी हो वह बंटवारे का दावा करने का हकदार है या नहीं।

स्पष्टीकरण 2.— इस धारा के परंतुक में शामिल किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उस व्यक्ति को सक्षम बनाता है जिसने मृतक या उसके किसी उत्तराधिकारी की मृत्यु से पहले खुद को सहदायिक से अलग कर लिया था ताकि वह निर्वसीयत के आधार पर उसमें निर्दिष्ट हित में हिस्सेदारी का दावा कर सके।"

पक्षकारान के मध्य यह समान आधार है कि चूंकि वर्तमान वाद केवल 1998 में दायर किया गया था और उक्त मुकदमे में डिक्री दिनांक

20.12.2000 को पारित की गई थी, 2005 में धारा 6 में संशोधन किया गया, जो वर्तमान मामले में पक्षकारान के अधिकारों को नियंत्रित नहीं करेगा। संशोधित प्रावधान कीधारा 6 के परन्तुक (i) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है, जो इस प्रकार है:-

> " परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी व्ययन या अन्य संक्रामण को, जिसके अंतर्गत सम्पत्ति का ऐसा कोई विभाजन या वसीयती व्यय भी है, जो 20 दिसम्बर, 2004 से पूर्व किया गया था, प्रभावित या अविधिमान्य नहीं करेगा।

इस धारा के स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया है:

> "स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विभाजन" से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 के 16) अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किसी विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया कोई विभाजन या किसी न्यायालय की किसी डिक्री किया गया विभाजन अभिप्रेत है।"

उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दिनांक 20.12.2000 की न्यायालय डिक्री द्वारा किया गया विभाजन, जो 9 सितंबर, 2005 (जो कि संशोधित अधिनियमके प्रारंभ होने की तारीख है) से पहले का विभाजन प्रभावित नहीं होगा।

9. हमारे दृष्टिकोण से अगला महत्वपूर्ण खंडधारा 8 है, जो इस प्रकार है:-

> "8.पुरूष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम- निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरूष की सम्पत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित को न्यायगत होगी:-
>
> (क) प्रथमतः, उन वारिसों को, जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट संबंधी है;
>
> (ख) द्वितीयतः, यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट संबंधी हैं;
>
> (ग) तृतीयतः, यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रजों को; तथा
>
> (घ) अंततः, यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक बंधुओं को।"

अनुसूची

वर्ग 1

पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्व-मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व-मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व-मृत पुत्री का पुत्र, पूर्व-मृत पुत्री की पुत्री, पूर्व-मृत पुत्र की विधवा, पूर्व-मृत पुत्र के पूर्व-मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व-मृत पुत्र के पूर्व-मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व-मृत पुत्र के पूर्व-मृत पुत्र की विधवा, (पूर्व-मृत पुत्री की पूर्व-मृत पुत्री का पुत्र,

पूर्व-मृत पुत्री की पूर्व-मृत पुत्री की पुत्री, पूर्व-मृत पुत्री के पूर्व-मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व-मृत पुत्र की पूर्व-मृत पुत्री की पुत्री)"

10. उक्त अधिनियम कीधारा 19 और 30 भी कुछ महत्वपूर्ण हैं जो इस प्रकार हैं:-

> "19.दो या अधिक वारिसों के उत्तराधिकार का ढंग- यदि दो या अधिक वारिस निवर्ससीयत की सम्पत्ति के एक साथ उत्तराधिकारी होते हैं तो वे सम्पत्ति को निम्नलिखित प्रकार से पाएंगे (क) इस अधिनियम में अभिव्यक्त तौर पर अन्यथा उपबन्धित के सिवाय व्यक्तिवार, न कि शाखावार आधार पर लेंगे; और
>
> (ख) सामान्यिक अभिधारियों की हैसियत में न कि संयुक्त अभिधारियों की हैसियत में लेंगे।
>
> 30. वसीयती उत्तराधिकार -कोई हिन्दू बिल द्वारा या अन्य वसीयती व्ययन द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) या हिन्दूओं को लागूऔर किसी अन्य तत्समय प्रवृत विधि के उपबन्धों के अनुसार किसी ऐसी संपत्ति को व्ययनित कर सकेगा या कर सकेगी जिसका ऐसे व्ययनित किया जाना शक्य हो।"

स्पष्टीकरण.- मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में एक पुरुष हिंदू का हित या तरवाड, तवाझी, इल्लोम, कुटुंबा या कावारू के एक सदस्य का तरवाड,

तवाझी, इल्लोम, कुटुंबा या कावारू की संपत्ति में हित, किसी भी बात के होते हुए भी, शामिल होगा इस अधिनियम में, या उस समय लागू किसी अन्य कानून में, इस धारा के अर्थ के भीतर उसके द्वारा या उसके द्वारा निपटाए जाने में सक्षम संपत्ति माना जाएगा।

11. अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषण करने से पूर्व, इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक है, जो विशेष रूप से 2005 के संशोधन से पूर्वधारा 6 औरधारा 8 से संबंधित है।जीके मैग्डम बनाम एचके मैग्डम, (1978) 3 एससीआर 761 में, इस न्यायालय द्वारापुरानीधारा 6 के प्रभाव पर कुछ विस्तार से चर्चा की गई थी।एक हिंदू विधवा ने संयुक्त परिवार की संपत्ति में 7/24 वें हिस्से के विभाजन और अलग कब्जे का दावा किया, जिसमें उसके पति वह स्वयं और उनके दो बेटे शामिल थे।यदि उसके पति के जीवनकाल में ही उसके और उसके दो बेटों के बीच बंटवारा होता, तो विधवा को ऐसी संयुक्त परिवार की संपत्ति में 1/4 हिस्सा मिलता।मृत पति का 1/4 हिस्सा, उसकी मृत्यु पर, छह हिस्सेदारों, वादी और उसके पांच बच्चों को मिलेगा, जिनमें से प्रत्येक के पास 1/24 वां हिस्सा होगा।1/4 वाँ और 1/24 वाँ हिस्सा जोड़कर, वादी ने संयुक्त परिवार की संपत्ति में 7/24 वाँ हिस्से का दावा किया।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :-

"हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 17 जून, 1956 को लागू हुआ।

खंडप्पा की मृत्यु उस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद,

1960 में हो गई थी, और चूंकि उनकी मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में उसका हित निहित था, धारा 6 की पूर्व शर्तें पूर्ण हैं और यह धारा पूरी तरह से आकर्षित होती है।उस धारा द्वारा निर्धारित सामान्य नियम के लागू करने से, सहदायिक संपत्ति में खंडप्पा का हित सहदायिक के जीवित सदस्यों पर उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित होगा, न कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार।लेकिन, चूंकि विधवा और बेटी अधिनियम की अनुसूची के श्रेणी । में निर्दिष्ट महिला रिश्तेदारों में से हैं और खंडप्पा की मृत्यु एक विधवा और बेटियों को छोड़कर हुई, धारा 6 का प्रावधान लागू होता है और सामान्य नियम अपवर्जित है।इसलिए सहदायिक संपत्ति में खंडप्पा का हित, परन्तुक के अनुसार, अधिनियम के तहत निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा।वसीयती उत्तराधिकारी प्रश्न से बाहर है क्योंकि मृतक ने कोई वसीयती व्ययन नहीं किया था, हालांकि अधिनियम की धारा30 के स्पष्टीकरण के तहत, मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में एक हिन्दु पुरुष का हित वसीयत या अन्य वसीयती व्ययन द्वारा व्ययनित किया जा सकता है।.

इस प्रकार इसमें कोई विवाद नहीं है कि धारा 6 द्वारा प्रतिपादित सामान्य नियमलागू नहीं होता है, उक्त धारा का परन्तुक आकर्षित होता है और अपील का निर्णयधारा 6 के स्पष्टीकरण 1 को दिए जाने वाले अर्थ से संबंधित होना चाहिए। उक्त स्पष्टीकरण की व्याख्या पक्षकारान के मध्य तीव्र विवाद का विषय है।"

12. इस न्यायालय ने धारा 6 के परन्तुक और स्पष्टीकरण 1 के विषय में यह माना कि स्पष्टीकरण 1 द्वारा बनाई गई कल्पना को पूर्ण प्रभाव देना होगा।ऐसी स्थिति में, यह अभिनिर्धारित किया :-

"13.किसी मृत सहदायिक की संपत्ति में उत्तराधिकारियों की हिस्सेदारी के निर्धारण के लिए वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार, और सर्वप्रथम, सहदायिक संपत्ति में मृतक के अंश का पता लगाना आवश्यक है।क्योंकि, केवल ऐसा करने से ही दावेदार का अंश निर्धारित किया जा सकता है।धारा 6 का स्पष्टीकरण 1 सरल समीचीन, निस्संदेह काल्पनिक, का सहारा लेता है, कि एक हिंदू मिताक्षरा सहदायिक का हित उस संपत्ति में अंशधारी के रूप में "माना जाएगा" जो उसे आवंटित किया गया होता यदि उस संपत्ति का विभाजन उनकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ होता।इसलिए यह मानने की आवश्यकता है कि वास्तव में मृतक और उसके सहदायिकों

के बीच उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व विभाजन हुआ था।एक बार यह उपधारणा की गई जो अपरिवर्तनीय है।दूसरे शब्दों में, सहदायिक संपत्ति में मृतक के अंश का पता लगाने के उद्देश्य से एक बार धारणा बना ली गई है, कोई भी उस धारणा से पीछे नहीं हट सकता है और इसके संदर्भ के बिना उत्तराधिकारियों के हिस्से का पता नहीं लगा सकता है।क़ानून जो यह धारणा बनाने की आवश्यकता दर्शाता है कि विभाजन वास्तव में हुआ था, इसके सभी चरणों के माध्यम से, उत्तराधिकारियों के अंतिम हिस्से को सुनिश्चित करने की पूरी प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए।मृतक के हिस्से का पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए प्रारंभिक चरण में धारणा बनाना और फिर उत्तराधिकारियों के हिस्से की मात्रा की गणना के लिए इसे अनदेखा करना वास्तव में किसी की कल्पना को भ्रमित करने की अनुमति देना है।वास्तविक विभाजन से उत्पन्न होने वाले सभी परिणामों पर तार्किक रूप से विचार किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उत्तराधिकारियों का हिस्सा इस आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे एक दूसरे से अलग हो गए थे और उन्हें मृतक के जीवनकाल में विभाजन के दौरान हिस्सा मिला था। इस अंश का आवंटन केवल किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से तैयार किया गया एक प्रक्रियात्मक

कदम नहीं है।इसे एक ठोस वास्तविकता के रूप में माना और स्वीकार किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे वापस नहीं लिया जा सकता है जैसे कि वास्तविक विभाजन में सहदायिक को आवंटित हिस्से को आम तौर पर वापस नहीं लिया जा सकता है।इस स्थिति का अपरिहार्य परिणाम यह है कि उत्तराधिकारी को उस हित में अपना हिस्सा मिलेगा जो मृतक के पास उसकी मृत्यु के समय सहदायिक संपत्ति में था, उस हिस्से के अलावा जो उसे प्राप्त हुआ था या माना जाना चाहिए था काल्पनिक विभाजन में प्राप्त हुआ।"

13. महाराष्ट्र राज्य बनाम नारायण राव शाम राव देशमुख व अन्य, (1985) 3 एससीआर 358 में, इस न्यायालय ने अपने समक्ष उठाए गए एक पूरी तरह से अलग प्रश्न का उत्तर देते हुए मैग्डम के मामले में निर्णय में भेद किया।उस मामले में न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाया गया था कि क्या एक हिंदू महिला, जो अपने पति की मृत्यु पर संयुक्त परिवार की संपत्ति का हिस्सा प्राप्त करती है, उसके बाद वह परिवार का सदस्य नहीं रह जाती है।इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि चूंकि धारा 6 के स्पष्टीकरण 1 के आधार पर विधि अनुसार विभाजन हुआ था, और चूंकि ऐसा विभाजन महिला हिंदू द्वारा स्वैच्छिक कार्य नहीं था, इसलिए महिला हिंदू की ऐसे विभाजन के प्रभावी होने पर, संयुक्त परिवार की सदस्यता समाप्त नहीं होती है।

14. श्यामा देवी (श्रीमती) एवं अन्य बनाम मंजू शुक्ला (श्रीमती) व अन्य, (1994) 6 एससीसी 342 में, इस न्यायालय ने धारा 6 के परंतुक और स्पष्टीकरण 1 के प्रभाव पर फिर से विचार किया,और मैग्डम के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय का अनुसरण किया। इस न्यायालय ने कहा कि स्पष्टीकरण 1 में पुरुष हिंदू की मृत्यु से ठीक पहले विभाजन को प्रभावित करने वाली विधि द्वारा उसकी मृत्यु की तारीख पर मृतक का हिस्सा निर्धारित करने का एक सूत्र शामिल है।

15. उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों को लागू करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि, सन् 1973 में जगन्नाथ सिंह की मृत्यु पर, धारा 6 का परन्तुक लागू होगा, क्योंकि जगन्नाथ सिंह अपने पीछे अपनी विधवा को छोड़ गया था, जो प्रथम श्रेणी की महिला उत्तराधिकारी थी। समान रूप से, उक्त धारा में स्पष्टीकरण 1 के लागू करने पर, विभाजन उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व विधि की क्रिया द्वारा किया जाना माना जावेगा। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि वादी सन् 1973 में होने वाले इस विभाजन पर हिस्सेदारी का हकदार होगा। हालाँकि, हमें सूचित किया गया था कि वादी का जन्म सन् 1977 में ही हुआ था, और इस कारण से, (उसका जन्म उनके दादा की मृत्यु के बाद हुआ है) जाहिर तौर पर उसे ऐसा कोई हिस्सा आवंटित नहीं किया जा सकता था।इसके अलावा, उनके द्वारा दायर वाद में उनका मामला यह नहीं है कि वह उक्त अंश का हकदार हैं, बल्कि वह सन् 1998 में 8 सह-हिस्सेदारों के मध्य संयुक्त परिवार की संपत्ति को विभाजित करने

पर 1/8 वें हिस्से के हकदार होता हैं। इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि क्यासन् 1973 में, जगन्नाथ सिंह की मृत्यु पर धारा 8 के लागू होने से पिता, चाचाओं और वादी के हक की संयुक्त परिवार की सम्पति अब जगन्नाथ सिंह के हिस्से का धारा 8 के अनुसार उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान के मध्य हस्तांतरण के बाद संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रहेगी। इस प्रश्न का उत्तर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों के संदर्भ में देना होगा।

16. संपत्ति कर आयुक्त, कानपुर व अन्य बनाम चंदर सेन और अन्य, (1986) 3 एससीसी 567 में, 1961 में एक पिता और उसके बेटे के बीच आंशिक विभाजन हुआ, उनके व्यवसाय को विभाजित किया गया और उसके बाद पार्टनरशिप फर्म जिसमें ये दोनों शामिल हैं के द्वारा आगे बढाया गया।1965 में पिता की मृत्यु हो गई, वह अपने पीछे अपने बेटे और दो पौत्र और फर्म के खाते में जमा राशि शेष छोड़ गया।इस न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि क्या अधिनियम कीधारा 8 के अनुसार पिता के हिस्से को उसके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के बीच वितरित किए जाने के बाद फर्म के खाते में जमा राशि को संयुक्त परिवार की संपत्ति कहा जा सकता है।

17. इस न्यायालय ने विधिक स्थिति की जांच की और अंततः 4 उच्च न्यायालयों, जैसे कि इलाहाबाद, मद्रास, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के मत की पुष्टि की एवं यह कहा कि उक्त उच्च न्यायालयों के विपरीत गुजरात उच्च न्यायालय का मत विधि की दृष्टि में सही नहीं है। उपरोक्त

पाँच उच्च न्यायालयों के विभिन्न मतों को स्थापित करने के बाद, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:-

> " हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की प्रस्तावना को ध्यान में रखना आवश्यक है।प्रस्तावना में कहा गया है कि यह हिंदुओं के मध्य निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून में संशोधन और संहिताबद्ध करने के लिए एक अधिनियम था।
>
> अधिनियम की प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए, यानी जहां आवश्यक हो वहां संशोधन करना और कानून को संहिताबद्ध करना, हमारी राय में यह संभव नहीं है जब अनुसूची वर्ग 1 में उत्तराधिकारियों को इंगित करती है और इसमें केवल पुत्र शामिल है और इसमें पुत्र का पुत्र शामिल नहीं है, लेकिन इसमें पूर्व मृत पुत्र का पुत्र शामिल है। जबधारा 8 में प्रतिपादित स्थिति में पुत्र को संपत्ति विरासत में मिलती है तोवह इसे अपने अविभाजित परिवार के कर्ता के रूप में लेता है। गुजरात उच्च न्यायालय के उपरोक्त दृष्टिकोण को, यदि स्वीकार किया जावे, तो इसका अर्थ यह होगा कि यद्यपि पूर्व-मृत पुत्र का पुत्र, न कि उस पुत्र का पुत्र, जिसे धारा 8 के तहत विरासत से बाहर रखा गया है, उत्तर पश्चातकथित पुराने हिंदू कानून को लागू करके धारा 8 में

उल्लिखित योजना के विपरीत उक्त संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकारप्राप्तकरेगा।इसके अलावा जैसा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि अधिनियमकी धारा 4 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि संदेह की स्थिति में अधिनियम को देखना चाहिए, न कि पहले से मौजूद हिंदू विधि को।आज यह प्रतिपादित करना मुश्किल होगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत हिंदू को न्यागत हुई है संपत्ति कोसंयुक्त अविभाजित परिवार सम्पति हो बजाय उसके पुत्र की हो, इसका अर्थ वर्ग 1 में उल्लिखित उत्तराधिकारियों के मध्य दो वर्ग बनाने का होगा, पुरुष उत्तराधिकारी जिनके हाथों में यह संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति होगी और बजाय पुत्र और महिला उत्तराधिकारी जिनके संदर्भ में ऐसी कोई अवधारणा लागू या विचार नहीं की जा सकती है। यह उल्लेख किया जा सकता है किअधिनियम कीधारा 8 के तहत अनुसूची के वर्ग । में उत्तराधिकारियों में विधवा, माता, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री आदि शामिल हैं।

निष्कर्ष निकालने से पूर्व हम कह सकते हैं कि हमने "हिंदू विधि पर मुल्ला की टिप्पणी , 15 वें संस्करण के पृष्ठ 924-26 पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कीधारा 6 पर

टिप्पणियों व उसके साथ-साथ मैनी के हिंदू विधि, 12 वें संस्करण, पृष्ठ 918-19 पर ध्यान दिया है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 कीधारा 8 के स्पष्ट शब्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इन्हें लागू किया जाना चाहिए। अधिनियम की प्रस्तावना दोहराती है कि अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, कानून में "संशोधन" करने के लिए है, उस पृष्ठभूमि के साथ व्यक्त भाषा जो बेटे के बेटे को उपवर्जित करती है लेकिन पूर्व मृत बेटे के बेटे को समाविष्ट करती है, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त आलोक में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये विचार हमें सही प्रतीत होते हैं।सम्मान के साथ हम उपरोक्त गुजरात उच्च न्यायालय के विचारों से सहमत होने में असमर्थ हैं।"[पैरा 21-25 पर]

18. युधिष्ठर बनाम अशोक कुमार, (1987) 1 एससीसी 204 पृष्ठ 210 में, इस न्यायालय ने चंदर सेन के मामले में निर्धारित विधि का अनुसरण किया है।

19. भंवर सिंह बनाम पूरन, (2008) 3 एससीसी 87 में, इस न्यायालय ने चंदर सेन के मामले को और चंद्र सेन के मामले को अनुसरण करने वाले विभिन्न निर्णयों का अवलोकन किया।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि :-

> "यह अधिनियम हिंदुओं के मध्य विरासत और उत्तराधिकार के मामले में एक बड़ा बदलाव लाया है।अधिनियम की धारा 4 में सर्वोपरि खण्ड है जिसके अनुसार इस अधिनियम में अभिव्यक्त; उपबंधित के सिवाय हिन्दू विधि का कोई ऐसा शास्त्र-वाक्य, नियम या निर्वचन या विधि की भागरूप कोई भी रूढि या प्रथा, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में, जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है, प्रभावहीन हो जायेगी।
>
> अधिनियम की धारा 6 , जैसा कि प्रासंगिक समय पर थी, सहदायिक संपत्ति में हित के न्यागमन का प्रावधान करती थी। धारा 8 उत्तराधिकार के सामान्य नियम बताती है कि निर्वसीयत मरने वाले हिन्दु पुरुष की संपत्ति निर्दिष्ट अध्याय के प्रावधानों के अनुसार अनुसूची के खंड (1) के अनुसार न्यागत होती है। अधिनियम में संलग्न अनुसूची में, प्राकृतिक पुत्रों और पुत्रियों को श्रेणी 1 के उत्तराधिकारियों के

रूप में रखा गया है, लेकिन पौत्रों को, जब तक पिता जीवित है, शामिल नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 19 में यह प्रावधान है कि दो या दो से अधिक वारिसों द्वारा उत्तराधिकार की स्थिति में, वे व्यक्तिवार न कि शाखावार आधार पर लेंगे साथ ही सामान्यिक अभिधारियों की हैसियत में न कि संयुक्त अभिधारियों की हैसियत में लेंगे।

निर्विवाद रूप से, भीम अपने पीछे संत राम और तीन बेटियोंबहनों को छोड़ गया। इसलिए, अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में, भीम की संपत्ति संत राम और उसकी तीन बहनों को न्यागत हो गई।संपत्ति में प्रत्येक का 1/4 हिस्सा था। विधिक स्थिति के अलावा, तथ्यात्मक रूप से यही बात अधिकार अभिलेख में भी प्रतिबिंबित हुई।भीम के उत्तराधिकारियों के बीच विभाजन हो चुका था.

यद्यपि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अधिनियम की धारा 6 के प्रभाव पर विचार किया है, हमारी राय में, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। किसी भी स्थिति में, यह सही निर्धारित किया गया था कि ऐसे मामले में भी,अधिनियम कीधारा 8 औरधारा 19 कोध्यान में रखते हुए , संपत्तियां संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रहती है और भीम के सभी वारिस और विधिक

प्रतिनिधि उसके हित को सामान्यिक अभिधारियों के रूप में, न कि संयुक्त अभिधारियों के रूप में लेंगे।इस प्रकृति के मामले में, संयुक्त सहदायिकी जारी नहीं रही।"(पैरा 12-15 पर)

20. इस प्रस्ताव के लिए हमारे समक्ष कुछ अन्य निर्णयों का हवाला दिया गया था कि संयुक्त परिवार की संपत्ति एकमात्र जीवित सहदायिक के साथ भी उसी तरह रहती है, और यदि उसके बाद ऐसे सहदायिक के बेटा पैदा होता है, तो संयुक्त परिवार की संपत्ति उसी तरह जारी रहती है, इसमें कोई अंतराल नहीं होता है इस तथ्य के आधार पर कि एकमात्र जीवित सहदायिक है।इस तर्क के लिए धर्मा शामराव अगलावे बनाम पांडुरंग मिरगु अगलावे(1988) 2 एससीसी 126, शीला देवी बनाम लाल चंद, (2006) 8 एससीसी 581, औररोहित चौहान बनाम सुरिंदर सिंह(2013) 9 एससीसी 419 का हवाला दिया गया।इनमें से कोई भी निर्णय अपीलार्थी को इस तथ्य के मद्देनजर आगे नहीं ले जाएगा कि उनमें से किसी में भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कीधारा 4,8 और 19 के प्रभाव पर कोई विचार नहीं किया गया है।इसलिए, विधि, जहां तक यह 2005 के संशोधन से पहले मिताक्षरा शाखा द्वारा शासित संयुक्त परिवार की संपत्ति पर लागू होता है, इसलिए इसे संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है: -

(i) जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रारंभ होने के बाद एक पुरुष हिंदू की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के समय मिताक्षरा

सहदायिक संपत्ति में उसका हित होता है, तो संपत्ति में उसका हित सहदायिक के जीवित सदस्यों को उत्तरजीविता द्वारा स्थानांतरित हो जाएगा(धारा-6).

(ii) प्रस्ताव (i) में, अधिनियम की धारा 30 के स्पष्टीकरण में एक अपवाद निहित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी, मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में एक पुरुष हिंदू का हित वह संपत्ति है जिसका निपटान वसीयत या अन्य वसीयती व्ययन द्वारा व्ययनित किया जा सकता है।

(iii) प्रस्ताव (i) पर दिया गया दूसरा अपवाद धारा 6 के परंतुक में निहित है, जिसमें कहा गया है कि यदि ऐसा कोई पुरुष हिंदू अनुसूची के श्रेणी । में निर्दिष्ट किसी महिला रिश्तेदार या उसमें निर्दिष्ट किसी पुरुष रिश्तेदार को छोड़कर मर गया हो जो ऐसी महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा करता है, तो सहदायिक संपत्ति में मृतक का हित वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा।

(iv) धारा 6 परंतु द्वारा शासित हिंदू पुरुष सहदायिक का हिस्सा निर्धारित करने के लिए, उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व विधि के प्रवृतन द्वारा विभाजन किया जाता है।इस बंटवारे में सभी सहदायिकों और पुरुष हिंदू की विधवा को संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिलता है।

(v) अधिनियम की धारा 8 के लागू करने पर, या तो स्व-अर्जित संपत्ति छोड़ने वाले पुरुष हिंदू की मृत्यु के कारण याधारा 6 परंतुक के

अनुसार, ऐसी संपत्ति केवल निर्वसीयती द्वारा हस्तांतरित होगी, न कि उत्तरजीविता के आधार पर।

(vi) अधिनियम कीधारा 4,8 और 19 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर , संयुक्त परिवार की संपत्ति को निर्वसीयत के सिद्धांतों परधारा 8 के अनुसार वितरित किए जाने के बाद, संयुक्त परिवार की संपत्ति जो विभिन्न व्यक्ति को उत्तराधिकार में मिली है संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह जाती है क्योंकि वे संपत्ति को सामान्यिक अभिधारियों की हैसियत में लेंगे न कि संयुक्त अभिधारियों के रूप में।

21. इस मामले के तथ्यों पर विधि लागू करने पर, यह स्पष्ट है कि 1973 में जगन्नाथ सिंह की मृत्यु पर, संयुक्त परिवार की संपत्ति, जो कि जगन्नाथ सिंह और अन्य सहदायिकों के हाथों में पैतृक संपत्ति थी, अधिनियम की धारा 8 के तहत उत्तराधिकार द्वारा न्यागत की गई।ऐसा होने पर, जगन्नाथ सिंह की मृत्यु की तारीख पर पैतृक संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह गई, और अन्य सहदायिकों और उनकी विधवा ने संपत्ति को सामान्यिक अभिधारियों के रूप में थी, न कि संयुक्त अभिधारियों के रूप में।ऐसी स्थिति में, 1977 में अपीलार्थी की जन्म तिथि पर उक्त पैतृक संपत्ति, संयुक्त पारिवारिक संपत्ति न होने के कारण, ऐसी संपत्ति के विभाजन का मुकदमा चलने योग्य नहीं होगा।परिणामस्वरूप व्यय के संबंध में कोई आदेश दिए बिना अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पी. के. मिश्रा (आर. जे. एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण; यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देशयों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देशय से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।